माननीय न्यायालय □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□„ □□.□□.

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□.-

□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ □□

अन्य, — □□□□□□□□□

C.M.P. □. 2008 □□ 20040

17 □□□□□□, 2008

□□□□ □□ □□□□□□□, ***1950 — अनुच्छेद 226 — बीमित व्यक्ति की मृत्यु-इस आधार पर दावे का खंडन कि बीमित व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था - बीमित व्यक्ति का पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने का कोई चिकित्सा इतिहास नहीं - बीमित व्यक्ति द्वारा ली गई किसी भी दवा या किसी अस्पताल या चिकित्सक से लिए गए किसी भी उपचार का कोई रिकॉर्ड नहीं - इसके अलावा, उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति के ध्यान से बच सकती है और विशेषज्ञों द्वारा इसका निदान करने की आवश्यकता होती है - याचिका खारिज कर दी गई, बीमा लोकपाल द्वारा पारित आदेश को कानूनी ठहराया गया।***

अभिनिर्धारित किया गया कि बीमा लोकपाल द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि रोगी का पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने का कोई चिकित्सीय इतिहास नहीं है, किसी भी अभिलेख द्वारा समर्थित नहीं है। चिकित्सक के बयान में नोट को छोड़कर कि रोगी पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था, बीमित व्यक्ति द्वारा उक्त तिथि से पहले किसी भी दवा या किसी अस्पताल या चिकित्सक से लिए गए किसी भी उपचार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बीमित व्यक्ति के 10 साल की अवधि से उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने का कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा मानते हुए, उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति के ध्यान से बच सकती है और विशेषज्ञों द्वारा इसका निदान किए जाने की आवश्यकता होती है|

(□□□□ 7

□□ 8) □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□,

□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□

हेमंत गुप्ता, **□□.**

(1) वर्तमान याचिका में चुनौती 5 अगस्त को बीमा लोकपाल, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी-1) को दी गई है, जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत की अनुमति दी गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि बीमा दावा याचिकाकर्ता द्वारा देय है।

(2) प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी श्रीमती हरजिंदर कौर का बीमा अपीलार्थी द्वारा पॉलिसी शुरू होने की तारीख 22 नवंबर, 2007 के साथ किया गया था। श्रीमती हरजिंदर कौर की मृत्यु 7 जनवरी, 2008 को हुई थी, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दर्ज किए गए दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बीमित व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था, लेकिन ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था। यह प्रत्यर्थी संख्या 2 का दावा था कि उसकी पत्नी को कोई चिकित्सा समस्या नहीं थी और उसकी मृत्यु अचानक हुई थी।

(3) याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि प्रस्ताव प्रपत्र में, बीमित व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी भी उच्च रक्तचाप से पीड़ित नहीं थी, जबकि, उपस्थित चिकित्सक के बयान के अनुसार, (अनुलग्नक पी-8) बीमित व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था और इस प्रकार, बीमित व्यक्ति ने उच्च रक्तचाप के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाकर, याचिकाकर्ता ने दावे को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है।

(4) विद्वान बीमा लोकपाल ने पाया है कि हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि बीमित व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था, लेकिन इस कथन का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण या कोई अन्य दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु के स्थान दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अभिलेख का सारांश प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रोगी पिछले दस वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, लेकिन दस वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी के बारे में बयान की पुष्टि करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अस्पताल के उपचार प्रमाण पत्र के आधार पर, विद्वान बीमा लोकपाल ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि बीमित व्यक्ति को निगलने और सांस लेने में कठिनाई थी, लेकिन इस प्रभाव का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बीमित व्यक्ति ने खुलासा किया कि वह पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। इस प्रकार, यह रिकॉर्ड पर प्रमाणित नहीं किया जा सका कि बीमित व्यक्ति 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने उच्च रक्तचाप के तथ्य का खुलासा नहीं किया है जो एक महत्वपूर्ण तथ्य था। इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा न करने वाले की अनुपस्थिति में, विद्वान बीमा लोकपाल ने दावे की अनुमति देने में गंभीर अवैधता की है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मृत्यु का कारण एस. एल. ई. है जो कि सिस्टेमेटिक ल्यूपस अर्टिमोसिस है जिसमें सभी जोड़ों के समूहों की कठोरता, लालिमा और दर्द शामिल हैं।

(6) चिकित्सक के बयान के अनुसार, निगलने में कठिनाई और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के साथ 2 जनवरी, 2008 को पहली बार चिकित्सक से परामर्श किया गया था। भर्ती होने के बाद रोगी को एस. एल. ई. का पता चला। अस्पताल के उपचार प्रमाणपत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि तीन दिनों तक निगलने में कठिनाई और सांस लेने में तकलीफ की सूचना रोगी ने स्वयं दी थी और भर्ती होने के बाद निदान की पुष्टि की गई थी।

इस प्रकार, बीमा लोकपाल द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि रोगी का पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने का कोई चिकित्सा इतिहास नहीं है, किसी भी रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है। चिकित्सक के बयान में नोट को छोड़कर कि रोगी पिछले 10 वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित था, बीमित व्यक्ति द्वारा उक्त तिथि से पहले किसी भी दवा या किसी अस्पताल या चिकित्सक से लिए गए किसी भी उपचार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम स्थायी लोक अदालत और अन्य (सीडब्ल्यूपी संख्या 9738,2008 का निर्णय 17 अक्टूबर, 2008) मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने रतन लाई और एक अन्य बनाम मेट्रोपॉलिटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि खुलासा करने का कर्तव्य बीमाकृत की जानकारी के भीतर तथ्यों तक सीमित है, ईमानदारी से किए गए भौतिक तथ्य के बारे में एक गलत बयान, यानी इसकी सच्चाई में विश्वास के साथ, अनुबंध की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हुए, और दूसरा बनाम S.P. माहेश्वरी, यह पाया गया कि प्रश्नों के उत्तर अभ्यावेदन हैं और एक गलत अभ्यावेदन अनुबंध को दूषित करने या नीति से बचने के लिए काम नहीं करेगा जब तक कि तथ्य वास्तव में सामग्री या स्पष्ट रूप से पक्षों के बीच समझौते द्वारा सामग्री बनाने का इरादा नहीं है। बीमाकर्ता केवल यह साबित करके पॉलिसी से बच सकता है कि बयान गलत या धोखाधड़ी वाला है या यह गलत था और जोखिम के लिए सामग्री था।

(18) वर्तमान मामले में, बीमित व्यक्ति के 10 वर्षों की अवधि से उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने का कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा मानते हुए, उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति के ध्यान से बच सकती है और विशेषज्ञों द्वारा इसका निदान किए जाने की आवश्यकता है।

(19) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं पाते हैं कि बीमा लोकपाल द्वारा पारित 5 अगस्त, 2008 का आदेश (अनुलग्नक पी-1) किसी भी तरह से अवैध और अनुचित है। नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा